

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस
मुकदमा न० राजस्व प्रकरण 13/2022

प्रार्थनी :-


1. कमला देवी पत्नी अमराराम जाति माली निवासी गांधीपुरा बालोतरा, तहसील पंचपदरा, जिला बाडमेर।

बनाम

विप्रार्थीगण :-

1. राणाराम पुत्र रणछोडराम जाति घांची निवासी व्हाईट क्लब होस्टिपटल के सामने बालोतरा
2. विशनाराम चंदेल पुत्र दलाराम जाति खटीक निवासी नीलम सिनेमा के पास बालोतरा
3. इन्द्रादेवी पत्नी मदनलाल जाति जटिया निवासी रेगरपुरा बालोतरा
4. मोहनलाल पुत्र दुर्गाराम
5. गोविंदराम पुत्र दुर्गाराम
6. गोरधनराम पुत्र दुर्गाराम
7. निम्बाराम पुत्र दुर्गाराम
8. दौलाराम पुत्र दुर्गाराम
9. पिंकी बेवा दुर्गाराम
10. लालाराम पुत्र मदनलाल
11. सुखदेव पुत्र मदनलाल
12. तेजाराम पुत्र मदनलाल
13. मिकूदेवी बेवा मदनलाल
14. ओमप्रकाश पुत्र केसाराम
15. पारसमल पुत्र केसाराम
16. सुकीदेवी बेवा केसाराम जातियान घांची निवासीयान व्हाईट क्लब होस्पिटल के सामने बालोतरा
17. सायरा बेवा बरकतखां
18. बाबूखां पुत्र बरकतखां
19. साबीरखां पुत्र बरकतखां
20. गुलाब नबी पुत्र बरकतखां
21. रोशनखां पुत्र मुसाखां
22. हनीफखां पुत्र पीरूखां
23. कमरूदीन पुत्र अमीनखां
24. वलीखां पुत्र मिसरूखां
25. सालीमखां पुत्र अलाबक्स जातियान मोयला कुम्हार निवासीयान नगर परिषद के सामने, मूंगडा बस स्टेण्ड के पास बालोतरा जिला बाडमेर।
26. मोडाराम पुत्र केसाराम जाति देवासी, लुखडा तहसील बाली जिला पाली
27. ओमप्रकाश पुत्र चुन्नीलाल जाति घांची भगतसिंह सर्कल के पास बालोतरा जिला बाडमेर।
28. मेवाराम पुत्र चुन्नीलाल जाति घांची
29. मगाराज चुन्नीलाल जाति घांची निवासीयान व्हाईट क्लब होस्पिटल के पास बालोतरा।




उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

लगातार पेज 02



30. प्रबंधक गगराणा गैस एजेंसी, नाहटा होस्पिटल रोड बालोतरा जिला बाडमेर
31. पोलाराम चौधरी पुत्र नगराम जाति कलबी निवासी आसोतरा तहसील पचपदरा ।
32. सरोज पत्नी लक्ष्मीचंद जाति दर्जी निवासी ढाढणिया तहसील बालेसर जिला जोधपुर
33. मांगीदेवी पत्नी गंगा जाति जाट निवासी ढाढणिया तहसील बालेसर जिला जोधपुर
34. संतोषदेवी पत्नी पूनाराम जाति दर्जी निवासी चाबा तहसील शेरगढ जिला जोधपुर।
35. भंवरलाल पुत्र रहिंगाराम जाति कलबी निवासी मेली तहसील सिवाना जिला बाडमेर।
36. मेतीदेवी पत्नी विशनाराम जाति कलबी निवासी आसोतरा तहसील पचपदरा
37. हरीश कुमार पुत्र गमनाराम जाति कलबी निवासी मेली तह0 सिवाना
38. निम्बाराम पुत्र शेराराम जाति जाट निवासी रेवाडा जैतमाल तह0 पचपदरा
39. उदयदान पुत्र पाबुदान जाति चारण निवासी रेवाडा जैतमाल तहसील पचपदरा
40. पोलाराम पुत्र नगराम जाति जाट
41. रामलाल चौधरी पुत्र देरामराम चौधरी निवासी थोब
42. गजरीदेवी पत्नी भूराराम जाति चौधरी निवासी पारलू
43. हराराम पुत्र विशनाराम जाति कलबी निवासी कनाना
44. वागाराम पुत्र डामराराम जाति कलबी निवासी आसोतरा तहसील पचपदरा।
45. ईश्वरलाल पुत्र जोगाराम जाति सुथार निवासी घेडोईनाडी तह0 पचपदरा
46. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भूमिधारक तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा0भू रा0 अधि0 बाबत पत्थरगढी व
नेखमबंदी करवाने हेतु
 उपस्थित :-

1. श्री डूंगरसिंह नामा प्रार्थीगण अधिवक्ता
2. श्री उम्मेदसिंह विप्रार्थी संख्या 28
3. श्री देवी सिंह विप्रार्थी संख्या 27
4. श्री भगवत सिंह विप्रार्थी संख्या 30
5. विप्रार्थीगण संख्या 1, ता 26, 29 व 31 ता 45 एक पक्षीय

लगातार पेज 03



(Signature)
 उष खण्ड अधिकारी
 (S.D.O.) बालोतरा

(3)

'आदेश


दिनांक :- 17.02.2023

संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थनी की खातेदारी का खेत सरहद मौजा बालोतरा पटवार क्षेत्र बालोतरा भूअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बालोतरा खसरा संख्या 1074/405 रकबा 2 बीघा 12 विस्वा 14 विश्वासी में अवस्थित है। जिस पर प्रार्थनी का शान्तिपूर्वक कब्जा कश्त चला आ रहा है, प्रार्थनी की भूमि के सेढा सेढा विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थनी की भूमि के सेढा को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलअन्दाजी की जाती है, और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थनी द्वारा ग्राम मौजा बालोतरा पटवार क्षेत्र बालोतरा भूअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बालोतरा खसरा संख्या 1074/405 रकबा 2 बीघा 12 विस्वा 14 विश्वासी की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।



प्रार्थनी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी संख्या 27, 28 व 30 के वकील उपस्थित। शेष विप्रार्थीगण संख्या 1, ता 26, 29 व 31 ता 45 नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी संख्या 1, ता 26, 29 व 31 ता 45 को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। विप्रार्थी संख्या 27, व 30 के वकील को जबाब पेश हेतु पर्याप्त अवसर देने के बावजूद भी जबाब पेश नहीं करने पर उक्त विप्रार्थी संख्या 27 व 30 का जबाब का अवसर समाप्त किया गया। विप्रार्थी संख्या 28 ने प्रार्थना पत्र का जबाब प्रस्तुत न करते हुए प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होना प्रकट किया गया है।

लगातार पेज 04


उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

(4)

वकील प्रार्थनी व विप्रार्थी संख्या 27 व 30 की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थनी ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थनी की कृषि भूमि ग्राम मौजा बालोतरा पटवार क्षेत्र बालोतरा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बालोतरा तहसील पंचपदरा के खसरा संख्या 1074/405 रकबा 2 बीघा 12 विस्वा 14 विरवासी कृषि भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थनी का शांतिपूर्वक कब्जा कायम चला आ रहा है, प्रार्थनी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी संख्या 1 से 45 की भूमि आई हुई है, वर्षा ऋतु के समय प्रार्थनी की भूमि के सेढा को लेकर विप्रार्थी संख्या 1 से 45 द्वारा दखलअन्दाजी की जाती है, और प्रार्थनी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है, और प्रार्थनी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है, और आये दिन सीमाओं को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है, इस कारण प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा बालोतरा पटवार क्षेत्र बालोतरा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बालोतरा तहसील पंचपदरा के खसरा संख्या 1074/405 रकबा 2 बीघा 12 विस्वा 14 विरवासी भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे। वकील विप्रार्थी संख्या 27 व 30 ने बहस करते हुए कथन किया कि प्रार्थनी द्वारा सीमाज्ञान कराते वक्त विप्रार्थीगण को सूचित नहीं किया गया। अतः विप्रार्थीगण को सूचना नहीं देने के आधार पर खारिज फरवाया जांर।



विप्रार्थी संख्या 28 उपस्थित जिन्होन प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में कोई आपत्ति प्रकट नहीं की गया।

हमने वकील प्रार्थनी वकील व विप्रार्थीगण संख्या 27 व 30 बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजरख रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात सीमाज्ञान फर्द का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का विधि के परिक्षेय में विवेचन किया गया। जिसमे पाया कि मौजा बालोतरा पटवार क्षेत्र बालोतरा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बालोतरा तहसील पंचपदरा के खसरा संख्या 1074/405 रकबा 2 बीघा 12 विस्वा 14 विरवासी कृषि भूमि में प्रार्थनीकी खातेदारी

वकील प्रार्थनी

नगातार पेज 05

(5)

जो पत्रावती के संलग्न जमाबंदी नकल की संवत् 2073-2026 व नव्या ट्रेस खसरा संख्या 1074/405 का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थनी विवाहित भूमि के रिकार्ड खातेदार है, और रिकार्ड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसका प्रार्थनी हकदार भी है। विप्रार्थमाण संख्या 1, ता 26, 29 व 31 ता 45 को बावजूद सजिस्टर्ड नोटिस तामीली के हानिर नही होने को विप्रार्थमाण की मौन स्वीकृति मानी जाती है, ऐसी सूरत में प्रार्थनी का आवेदन पत्र स्वीकार करने योग्य है। विप्रार्थ संख्या 27 व 30 द्वारा किसी प्रकार का जबाब पेश नहीं करने व मात्र यह कथन करना कि प्रार्थनी द्वारा सीमाज्ञान करावे जाने का उसे ज्ञान नहीं है न ही सूचित करने के आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज करना का कथन निरर्थक प्रतीत होता है।

लिहाजा उपरोक्त विवेदन अनुसार प्रार्थनी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा बालोतरा पटवार क्षेत्र बालोतरा भूअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बालोतरा तहसील पचपदरा के खसरा संख्या 1074/405 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा 14 विश्वासी कृषि भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, उक्त कार्यवाही प्रार्थनी व विप्रार्थ संख्यागण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिश्नर फीस 500/- प्रार्थी मौके पर अदा करेगे। आवश्यकता होने पर पुलिस ईमदाद प्राप्त कर सकते है पालना रिपोर्ट पेश होने पर शामिल मिसल हो।



आल दिनांक 17.02. 2023 को आदेश लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में
सुनाया गया।

विकेक व्यास
उपखण्ड अधिकारी
(अभिलेख) बालोतरा

17/02/23

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O) बालोतरा

सुपखण्ड अधिकारी
(S.D.O) बालोतरा